न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्या– 37/2016– (रैफरैन्स –82 एल आर एक्ट)

1. केवल पुत्र परमोली
2. मन्शोले पुत्र फोंदा
3. बहादुर पुत्र बाबू
4. भरतलाल पुत्र हरी
5. तुरसी पुत्र रम्मो
6. बदन पुत्र सम्पत
7. नन्दराम पुत्र टीकम
8. झपटू पुत्र ग्यासिया
9. दामो पुत्र रतनी
10. नवला पुत्र गेंदा
11. मानसिंह पुत्र बीदा

जातियान गुर्जर निवासियान नगला सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. एलोटमेंट कमेटी बयाना जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
3. सूरज पुत्र लालाराम उर्फ नानगाराम कौम जाटव निवासी नगला सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त किये जाने एलोटमेन्ट आदेश दिनांक 4.10.1970 एलोटमेन्ट कमेटी बयाना व दाखिल खारिज संख्या 1094 गैर खातेदार व खातेदारी इन्तकाल नं0 1696, 1830 वाकै ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश गुप्ता वकील प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 21.2.2018

प्रार्थीयान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 82 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् निरस्त करने आवंटन दिनांक 4.10.1970 व नामान्तकरण संख्या 1094 गैर खातेदारी व खातेदारी इन्तकाल नम्बर 1696, 1830 साविक आ0ख0नं0 1875, 1876 एवं हाल खसरा नम्बर 2628, 2630 रकबा 0.98 है0 वाकै ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थी 1–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित नहीं। उभयपक्ष की बहस नियत दिनांक 21.2.2018 को सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये कंथन किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 1230,1295,1594, 1632,1633,1672, 1690,1690/1, 1831, 1832,1861,1864,1866,1867,1868,1869,1873,1874,1875,1876 वाकै ग्राम सिघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। बन्दोवस्त विभाग ने जिसके हाल खसरा नम्बर 627,1119,1929,2016,1930,2017,2019,2053,2054,2055,2114,2166,2515,2517,2520,2521, 2522,2523,2524,2549,2550,2551,2552,2553,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2643,2648,2649,2650,2651 वाकै ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। एलोटमेन्ट कमेटी ने दिनांक 4.10.1970 को साविक आ0ख0नं0 1875, 1876 एवं हाल खसरा नम्बर 2628, 2630 रकबा 0.98 है0 जमीन गैर सायल संख्या 3 को ऐलोट कर दी थी। जिसके आधार पर नामान्तकरण 1094 दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 1696, 1830 गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कर दिया गया । विवादित आराजी चारागाह है जो सार्वजनिक उपयोग के काम आ रही है। इसमें ग्रामवासी पशुओं को चराते है तथा इसमें आज तक कभी भी काश्त नहीं हुई। यह जमीन आज भी बंजर है जिसमें मंदिर पोखर एनीकट बने हुये है। यह भूमि गैर मुमकिन चारागाह है जिसका एलोटमेन्ट नहीं किया जा सकता। इसलिऐ अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन दिनांक 10.4.1970 को निरस्त किया जावे तथा इस आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण भी निरस्त किये जावे। जिसका रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाना राज्यहित को देखते हुये न्यायहित में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में रैफरेंस के सभी तथ्यों को नकारते हुये रैफरेंस को मौके एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत होना अपने कथनों में जाहिर किया। उनका यह भी कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1970 को विधिवत उद्घोषणा जारी करने के पश्चात अप्रार्थी के भूमिहीन होने के कारण राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही आवंटन किया है। 45 वर्षों से अधिक एक लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद एक निजी पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत स्वार्थ से वसीभूत रैफरेंस के माध्यम से उक्त विधिवत हुये आवंटन को कतई निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त आवंटित भूमि सार्वजनिक नहीं है आवंटन के पश्चात भूमिहीन आवंटियों के द्वारा इस जमीन को अपनी मेहनत व लगन से काबिल काश्त बनाया गया है। उक्त रैफरेंस वास्तव में मौके के विपरीत है। मियाद बाहर है जो मियाद बिन्दु पर ही खारिज किया जावे। प्रार्थी उक्त आवंटन से किसी भी प्रकार से एग्रीब्ड भी नहीं है। चारागाह भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है इसलिऐ एक निजी पक्षकार को रैफरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा इस संदर्भ में (Couse of action) कैसे पैदा हुआ का भी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक नियमानुसार सक्षम आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आस्तित्व में रहता है तब तक उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण निरस्त नहीं किये जा सकते। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थीगण के हक में हुये विधिवत आवंटन को सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती भी नहीं दी गई है। अन्त में अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे भूमिहीन ग्रामवासियों के लिये जीवन यापन का एक मात्र साधन राज्य–सरकार की नीतियों

के अंतर्गत आवंटित उक्त भूमि के मध्यनजर विचाराधीन बेबुनियाद रैफरेंस को इसी स्तर पर खारिज किये जाने की कृपा करें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र मे अंकित विवादित आराजी आवंटन समिति द्वारा आदेश दिनांक 4.10.1970 से अप्रार्थी को आवंटित की गई थी जिसके आधार पर अप्रार्थी गैर खातेदार एवं खातेदार दर्ज हुये। इन तथ्यों को दोनों ही पक्ष स्वीकार करते है। प्रार्थी का इस रैफरेंस में मुख्य कथन यह है कि विवादित जमीन का चारागाह है जिसका आवटन नहीं किया जा सकता जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2022 ग्राम सिघांडा का अवलोकन किया गया जिसके कॉलम संख्या 5 में दर्ज है कि ''ग्राम समाज द्वारा चराई अथवा अन्य संस्थाओं प्रयोजनों के लिये रखी गई अथवा सामलात भूमि'' इस अंकन से साफ जाहिर हो रहा है कि उक्त आराजी अन्य संस्थाओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिये भी रखी गई है। इसके अलावा जमाबन्दी के किस्म जमीन कॉलम संख्या 8 में भी विवादित भूमि चारागाह दर्ज होना नहीं पाया गया है। जिसके आधार पर विवादित आराजी को प्रथम दृष्ट्या चारागाह नहीं माना जा सकता। प्रार्थी द्वारा जिन नामान्तरकरणों का रैफरेंस में जिक्र किया गया है वह आवंटन आदेश दिनांक 4.10.1970 के परिपेक्ष्य में खोले गये है। लगभग 45 वर्ष पुराना आवंटन जब आज तक आस्तित्व में है तो उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरणों के निरस्तीकरण की कार्यवाही बिना कोई वादकरण (Couse of action) के एक व्यक्तिगत रैफरेंस के माध्यम से मुनासिब नहीं है। विधि विरूद्ध आवंटन के निरस्तीकरण हेतु पृथक से बृहद नियम कानून कायदे (आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आवंटन निरस्तीरण के संदर्भ में प्रावधान दिये गये है) न्याय प्रणाली में मौजूद है जिनके तहत कोई भी प्रभावित पक्षकार अपने हित–रक्षार्थ सक्षम अदालत में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 का मकसद ऐसा कोई त्रुटीपूर्ण आदेश जिससे राज्यसरकार का हित प्रभावित हो रहा हो के ध्यान में आते ही उसको दुरूस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को प्रस्तावित किया जाना है। यह न्यायिक प्रक्रिया के क्रियान्वयन का दायित्व व्यक्तिगत न होकर सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी का ही दायित्व बनता है। उक्त आवंटन तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सरकार की नीतियों के अनुरूप भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को किया गया है । अतः विधि अनुरूप 45 वर्ष पुराने आवंटन एवं **किसी खातेदार की खातेदारी को रैफरेंस के जरिये निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।** विधि अनुरूप आवंटन के विरूद्ध रैफरेंस प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण कोई अधिकार नहीं रखते है। रैफरेंस मियाद बाहर प्रस्तुत किया है साथ ही रैफरेंस प्रस्तुतकर्ता वादकरण प्रमाणित करने में भी असफल रहे है। ऐसी स्थिति में रैफरेंस खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मियाद बाहर आधारहीन होने एवं प्रस्तुतकर्ता एग्रीब्ड न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बयाना को हिदायत दी जाती है कि वे एक माह में मौका परीक्षण करें एवं यदि रैफरेंस का आधार बनना पाये तो भूमिधारक के नाते वे नये सिरे से रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

आज्ञा सुनाई गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official